न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारीः डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः 23/2022

अपीलार्थी
नारसिंह पुत्र भीखसिंह जी, जाति–राजपूत, निवासी– वाडका, तहसील– शिवगंज, जला–सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थीगण
(1) हडमतसिंह पुत्र भैरुसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– वाडका, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही
(2) गणपतसिंह पुत्र भैरुसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– वाडका, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही
(3) गंगारसिंह पुत्र भैरुसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– वाडका, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही
(4) शेरसिंह पुत्र भैरुसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– वाडका, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही
(5) राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शिवगंज, जिला– सिरोही

"अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955"

उपस्थितिः
1. अधिवक्ता श्री महेश शर्मा, अपीलार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी, प्रत्यर्थी 1 से 4 की ओर से
3. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या– 5 की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 23 अक्टूम्बर, 2023**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी द्वारा यह अपील तहसीलदार, शिवगंज द्वारा स्वीकृत आपसी सहमति बंटवाड समझौता प्रस्ताव क्रमांकः राजस्व/2019–20/2411–14 दिनांक 04.10.2019 से व्यथित होकर प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध अलग से पेश किया गया है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन जारी किये गये एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शिवगंज का संबंधित अभिलेख तलब किया गया। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी उपस्थित हुये एवं प्रत्यर्थी संख्या–5 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये। प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 की ओर से अपील का लिखित जवाब भी प्रस्तुत हुआ।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री शर्मा ने अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि अपीलार्थी के कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि मौजा वाडका, पटवार हल्का जोगापुरा, तहसील–शिवगंज, जिला सिरोही में स्थित है जो कुआं नामे रेवड़ी के नाम से जानी व पहचानी जाती है जिसका खसरा संख्या क्रमशः 77, [illegible] 80, 81 एवं 83 कुल किता 6 कुल रकबा 69 बिघा 08 बिस्वा [illegible] का 1/2 हक हिस्सा खातेदारी का है तथा शेष 1/2 हक हिस्सा [illegible] संख्या 1 से 4 का है। कुआं नामे [illegible] पेज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:08:38 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर * सिरोही *

घेवरी की कृषि भूमि के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 द्वारा अपीलार्थी की वृद्धावस्था, बहरेपन एवं अनपढ़ होने का नाजायज फायदा उठाते हुए उक्त कृषि आराजी को मिट्स एवं बाउण्ड के आधार पर बंटवाडा करवाने का मूगालता देकर संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का असगंत व अव्यवहारिक बंटवाडा अपने पक्ष में लिख कर प्रस्तुत किया तथा अपीलार्थी के साथ धोखा कर मुख्य सड़क से लगते कृषि भूमि के हिस्से को अपने हिस्से में बता कर प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 ने मूल्यवान कृषि भूमि को अपने नाम से करवाने के दुराश्य से अपीलाण्ट को मुगालते देकर व धोखे में रख कर उक्त कृषि आराजी का आपसी सहमति से विसंगत बढ़वाडा बना कर सहमति के दस्तावेजात बनवाकर अपीलार्थी के अंगुठा निशानी करवाकर उक्त कृषि भूमि का बंटवाडा करवाया दिया। यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नही किया कि संयुक्त खातेदारान द्वारा प्रस्तुत आपसी सहमति के बंटवाड समझौता प्रस्ताव के आवेदन में विधि द्वारा स्थापित सिद्धान्त की पालना नही हुई एवं सहखातेदारान् द्वारा प्रस्तुत उक्त बंटवाड की आपसी सहमति के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई जाँच नही किये जाने व गौर नही किये जाने एवं उक्त विसंगत बटवाड को अन्तिम प्रस्ताव मानने में भारी कानूनी एव वाक्याती भूल की है। अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि मौजा वाडका, पटवार हल्का जोगापुरा, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही में स्थित है जो कुआ नामे घेवरी के नाम से जानी व पहचानी जाती है जिसका खसरा संख्या क्रमशः 77, 78, 79, 80, 81 एवं 83 कुल किता 6 कुल रकबा 69 विधा 08 बिस्वा रहा है। उक्त कृषि भूमि में अपीलार्थी का 1/2 खातेदारी हक हिस्सा है तथा शेष 1/2 खातेदारी हक हिस्सा प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 का है। उक्त कृषि भूमि के विसंगत बटवाड प्रस्ताव को स्वीकृत करने में तहसीलदार, शिवगंज ने कानूनन त्रृटि की है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शिवगंज ने इस बात पर गौर नही किया कि अपीलार्थी अनपढ़ ग्रामिण परिवेश का वृद्ध व्यक्ति है। तहसीदार शिवगंज के समक्ष जो आपसी बटवाडनामा प्रस्तुत किया है, वह मिण्टस् एण्ड बाउण्ड अनुसार नही है। सह खातेदारान द्वारा प्रस्तुत बटवाड के आवेदन एवं आपसी लिखत में भी बंटवाड एक पक्षकार के हक में तथा दुसरे पक्षकार के हित, हक अधिकारों के विपरीत होने पर भी उक्त बंटवाड प्रस्ताव व सहमति के दस्तावेजो के सम्बन्ध में कोई निष्पक्ष जांच एवं बयान अंकित नहीं किये है जिससे प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थी के साथ किये जा रहे धोखे व अपीलार्थी द्वारा प्रस्तावित बंटवाड़ की स्वैच्छिक सहमति होने का तथ्य उजागर नही हो पाया जिससे भी उक्त आपसी सहमति से प्रस्तुत हुए बटवाड संदेहाप्रद होने के तथ्य स्पष्ट साबित होते है जिस पर ध्यान नहीं देकर अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है। यह कि उक्त प्रश्नगत बंटवाड में अपीलार्थी को प्राप्त उसके एक हिस्से की कृषि आराजी पर आने जाने हेतु कोई मार्ग नही दिया गया है, प्रश्नगत कृषि आराजी के मौके की स्थिति से विपरीत बंटवाड प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रश्नगत कृषि आराजी में अपीलार्थी को दिये गये हिस्से में अपीलार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने, कृषि कार्य हेतु सामान लाने ले जाने हेतु कोई मार्ग नही दिया गया है तथा जो मार्ग राजस्व नक्शे में तरमीम है वह मार्ग मौके पर नही है। उक्त कृषि भूमि के खसरा संख्या 82 में स्थित रास्ता खसरा संख्या 83 के प्रारम्भ से दक्षिणी दिशा की ओर जाता है तथा पूरब की ओर से कोई रास्ता मौके पर नही है तथा अपीलार्थी को बंटवाडे में दी कृषि भूमि तथा खसरा संख्या 80 को विभाजित कर तरमीम किया नया खसरा संख्या 80/1 अंकित किया गया है के दक्षिणी भाग में जहां खसरा संख्या 76 की सरहद मिलती है वहां तक डामर रोड है उसे [illegible] बटवाडें में प्राप्त की है तथा अपीलार्थी को मुख्य रास्ते से दूर व पि[illegible] कृषि भूमि दी है। इस प्रकार, उक्त बंटवाडा विसंगत व त्रुटिपूर्ण [illegible] अधिकारों के विपरीत है।संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि के [illegible] खातेदार को कृषि भूमि के बंटवाड में

.....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:08:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *
सत्यमेव जयते

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

प्राप्त हो रहे हक हिस्से में सभी खातेदार को कृषि भूमि के उपयोगी व मुल्यवान हक हिस्सा प्राप्त हो तथा संयुक्त खातेदारी से एकल खातेदारी में प्राप्त होने वाले भाग में आने जाने का समुचित मार्ग प्राप्त हो। विवादित कृषि भूमि में जो भाग प्रत्यर्थीगण ने प्राप्त किया है उसमें प्रत्यर्थीगण ने डामर रोड व मुख्य मार्ग की आगे की कृषि भूमि अपने हक हिस्से में रखा है तथा अपीलार्थी को अन्दर की भूमि दी गयी है जिस पर मुख्य सडक से कोई सम्पर्क नही है तथा खसरा संख्या 77 78 व 79 क्रमशः तेड, लाटा एवं वेरा की भूमि जो करीब 2.17 बिघा है तथा मौके पर तेड, लाटा एवं वेरा नही है। उक्त भूमि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 को प्राप्त भूमि में शामिल है तथा तेड, लाटा एवं वेरा की भूमि के उत्तर दिशा में संयुक्त खातेदारी की भूमि में रास्ता निकाला गया है जो अपीलार्थी के हिस्से में आए भाग तक जाता है, इस प्रकार अपीलार्थी को मुख्य मार्ग पर स्थित कृषि भूमि का कोई भाग बंटवारे से प्राप्त नही हुआ है जिस पर भी गौर नहीं कर उक्त बंटवाड को स्वीकृत किये जाने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी भूल की है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ राजस्व कर्मचारियों की मिली भगत से तैयार बंटवाड प्रस्ताव को स्वीकृत किये जाने में भारी कानूनी भूल की है। उक्त संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि को लम्बवत विभाजित कर संयुक्त खातेदारान को उनके हक हिस्से अनुसार बंटवाड किया जाता तो प्रत्येक खातेदार को उपयोगी व मुल्यवान, कम उपजाऊ एवं सभी प्रकार की कृषि भूमि प्राप्त होती तथा बंटवाड मिट्स एवं बाउण्ड के आधार पर होता तथा सभी सह खातेदारान का कोई उजर एतराज नही होता, जिससे भी उक्त बटवार विधि अनुसार नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नही किया कि प्रश्नगत कृषि आराजी के सहमती से बंटवार किये जाने के आवेदन पर किसी प्रकार की कोई जांच नही की गई एवं न ही सह खातेदारान के आपसी सहमति एवं बंटवाड के कोई लिखित बयान लिए गए है तथा न ही अधीनस्थ न्यायालय ने सहमति होने की कोई जांच की है, जबकि अपीलार्थी अनपढ़ एवं कानों से बहरा है। अपीलार्थी के सहखातेदार (प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4) ने अपीलार्थी की इसी कमजोरी का फायदा उठाने हेतु स्थानीय राजस्व कर्मचारीयो के साथ मेल मिलाप कर बंटवाड के दस्तावेजो पर अंगुष्ठ निशानी लेकर अपीलार्थी के साथ मिथ्या व्यपदेशन कर उक्त सहमति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं राजस्व रेकर्ड नक्शे में अंकित रोड की कृषि भूमि को अपने हक हिस्से में बंटवाड करवाया है। तहसीलदार को उक्त तथ्यों की जानकारी होते हुए भी इस संबंध में कोई जांच नही की है एवं विधि के प्रावधानों का पालन नही करके उक्त बंटवाड प्रस्ताव को स्वीकृत किया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान विधिक दृष्टान्त 2017(3)CJ(Civ.)(Raj.) Page 1665—1669 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए भी यह व्यक्त किया कि समझौता डिक्री के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की जा सकती है। अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, शिवगंज द्वारा स्वीकृत आपसी बंटवाड प्रस्ताव को निरस्त करके तहसीलदार, शिवगंज को मिट्स एवं बाउण्ड के आधार पर बंटवाड किये जाने एवं तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु आदेशित किया जावे। जबकि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री पुरी ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम वाड़का में अपील में वर्णित खसरा संख्या की कृषि आराजी कुल 69 बीघा 8 बिस्वा आई हुई थी जिसमें अपीलान्ट का 1/2 व प्रत्यर्थी संख्या 1/2 का खातेदारी हक हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, लेकिन उक्त कृषि आराजी अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 के मध्य संयुक्त खातेदारी की नहीं रही हैं [illegible] के मध्य उक्त कृषि आराजी का आपसी सहमति से दिनांक 04.10.2019 [illegible]ाड हो चुका है। मौखिक बंटवार अनुसार राजस्व रेकर्ड जमाब[illegible] किया जाकर अपने—अपने हिस्से में आई कृषि आराजी पर [illegible] और जिसकी जानकारी स्वयं अपीलार्थी

.....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:08:38 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर *सिरोही*

को है। अपीलार्थी पूर्ण रूप से स्वच्छचित्त व होशियार व्यक्ति है, जिसको प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 द्वारा किसी भी प्रकार से मुगालते में रखकर बंटवार नहीं करवाया, बल्कि स्वयं अपीलार्थी की इच्छा से राजीखुशी आपसी सहमति से बंटवाड प्रस्ताव समझौता तैयार किया जाकर गवाहों की उपस्थिति में अपने–अपने अंगुष्ठ निशानी/हस्ताक्षर करके निष्पादित किया है एवं तत्पश्चात् तहसीलदार, शिवगंज के समक्ष पक्षकारान ने उपस्थित होकर आपसी सहमति का बंटवारनामा मय दस्तावेज के पेश किया एवं पटवारी हल्का ने उनकी पहचान की एवं उसे सही होना स्वीकार होने से तहसीलदार, शिवगंज द्वारा स्वीकृत किया गया एवं तत्पश्चात् आदेश जारी कर पटवारी हल्का को मौखिक बंटवाड़ प्रस्ताव अनुसार राजस्व रेकर्ड में व जमाबंदी व नक्शे मे अमल दरामद जारी करने के आदेश पारित किये गये है, जिसके अनुसरण में नामान्तरकरण दर्ज हो चुका है एवं अपने–अपने बंटवाड में आई कृषि आराजी में काश्त करते आ रहे हैं। अपीलार्थी ने उक्त बंटवाड हुए करीब 3 वर्ष की अवधि के पश्चात् केवल मात्र गलत तथ्यों का सहारा लेकर लोमों की सिखावट में आकर बिना किसी आधार के यह गलत अपील श्रीमान् के समक्ष पेश की है जो खारिज किये जाने योग्य है। इस कारण अपील पेश करने का अपीलार्थी को कोई अधिकार ही पैदा नहीं होता है। यह है कि अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 के संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजी थी और तहसीलदार शिवगंज के समक्ष सभी खातेदारान द्वारा आपसी सहमति से बंटवार होना बताया जाकर मय नक्शा व आपसी बंटवार समझौता का प्रार्थना पत्र पेश कर आपसी सहमति से यह बंटवाड़ प्रस्ताव के अनुसार बंटवार अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु अनुरोध किया। जिस पर तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की गई और रिपोर्ट प्राप्ति के पश्चात् तहसीलदार के समक्ष सभी खातेदारो ने आपसी बंटवाड़ प्रस्ताव समझौता को स्वीकार करते हुए और जिनकी पहचान पटवारी हल्का द्वारा की गई एवं सभी खातेदारो द्वारा आपसी बंटवाड करने से उनकी पूर्ण रूप से सहमति होने के कारण तहसीलदार शिवगंज द्वारा धारा 53(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उक्त बंटवाड प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए विधि अनुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने के आदेश पारित किये गये एवं उस अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हुए 3 वर्ष की अवधि गुजर चुकी है एवं अपने अपने हिस्से में काबिज है। उक्त समझौता बंटवाड प्रस्ताव को स्वीकृत करने में अधीनस्थ न्यायालय ने कोई त्रुटि कारित नहीं की हैं एवं पूर्ण रूप से विधि सम्मत कार्यवाही को अंजाम दिया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि पक्षकारान के मध्य जमीनी विवाद को निपटाने हेतु एक तरफ राज्य सरकार प्रशासन गांवों के संग व लोक अदालतो का आयोजन करती आ रही है, ताकि भूमि संबंधी विवाद को आपसी समझौते से निपटारा किया जा सके। जबकि उक्त प्रकरण में पक्षकारान स्वयं अपनी अपनी सहमति से राजीखुशी अपनी कृषि आराजी में दर्ज हक हिस्से के अनुरूप सहमति से बंटवाड प्रस्ताव समझौता तैयार करवाकर तहसीलदार के समक्ष सभी पक्षकारान उपस्थित होकर मय दस्तावेजों के आपसी सहमति से हुए बंटवाड प्रस्ताव के अनुरूंप राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में इन्द्राज करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया और जिसे स्वीकार कर विधि सम्मत आदेश पारित कर बंटवाड अनुसार कृषि आराजी का आपसी सहमति से हुए विभाजन के अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया एवं खसरा संख्या 77, 78, 79 व 81 की भूमि अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 के संयुक्त खातेदारी खाते में रखी गई। आपसी सहमति से हुए बंटवाड़ में किसी भी प्रकार के कोई बयान व साक्ष्य लिये जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि आपसी सहमति बं[illegible] उपस्थित होकर तहसीलदार को प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पेश करते है। [illegible] बयान लेने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है एवं न ही मिट्स [illegible] ही बनता है, बल्कि आपसी सहमति एवं अपनी इच्छानु[illegible]प्त कर सकता है, जिसमें किसी प्रकार

.....पेज पांच पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:08:38 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

की कोई पाबन्दी नहीं है। अपीलार्थी को अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु खसरा संख्या 77, 78, 79 व 81 जो पूर्ण रूप से रास्ते से लगते हुए हैं के मध्य से रास्ता उपलब्ध है एवं उक्त भूमि अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 के मध्य संयुक्त खाते में रखी गई। बंटवाड़ के अनुरूप आई कृषि आराजी में धोरा पाई व मौके पर तारबंदी की हुई है और जिसको किये हुए भी 3 वर्ष की अवधि गुजर चुकी है एवं अपीलार्थी स्वयं अपने द्वारा किये हुए कृत्यों व आपसी सहमति बंटवाड प्रस्ताव को नकारते हुए अनपढ़ व कानों से बहरे होने का गलत कथन करके यह अपील प्रस्तुत की है। प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 के अधिवक्ता द्वारा राजस्व (ग्रूप–6) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांकःप.5(1)राज–6 / 97 / 10 दिनांक 08.9.1997 एवं विधिक दृष्टान्त 2009(2)RRT Page 1206-1208, RRD-14-3-2012 Page 145, RRD-14-2-2015 Page 84-91 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह किया कि सहमति के आधार पर जोत के विभाजन के मामलों राजस्व अधिकारी इस तरह की आपत्ति नही लगायेंगे कि सह कृषकों ने बंटवारे में अपना हिस्सा कम–अधिक क्यों कर लिया है। राजीनामें के आधार पर पारित डिक्री के विरुद्ध अपील नही की जा सकती है। राजीनामा जब पक्षकारों की सहमति से होता है तो उसकी वैधता पर प्रश्न चिन्ह् लगाना विकट ही है क्योंकि जो कोई पक्षकार राजीनामा में प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करता है तो उसे यह साबित करना होगा कि या तो उक्त राजीनामा धोखे से कराया गया है अथवा राजीनामा विधि विरुद्ध है। अतः अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि उक्त कृषि भूमि के संयुक्त खातेदारों अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 द्वारा आपसी सहमति व समझौते से उक्त कृषि भूमि का आपस में बंटवाड कर आपसी सहमति समझौता बंटवाड प्रस्ताव मय प्रार्थना पत्र के तहसीलदार, शिवगंज को प्रस्तुत कर आपसी सहमति समझौते अनुसार बंटवाड प्रस्ताव को स्वीकार करने का अनुरोध करने पर तहसीलदार, शिवगंज द्वारा दिनांक 04.10.2019 को बंटवाड प्रस्ताव स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये गये है।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शिवगंज से प्राप्त अभिलेख का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम वाडका, पटवार हल्का, जोगापुरा, तहसील–शिवगंज के खसरा संख्या 77 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, खसरा संख्या 78 रकबा 0.15 बीघा, खसरा संख्या 79 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, खसरा संख्या 80 रकबा 56 बीघा 09 बिस्वा व खसरा संख्या 893 रकबा 09 बीघा 03 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 69 बीघा 08 बिस्वा भूमि के संयुक्त खातेदार अपीलार्थी नारसिंह पुत्र भीखसिंह जी, जाति–राजपूत, निवासी– वाड़का एवं प्रत्यर्थी हडमतसिंह पुत्र भैरुसिंह जी बहैसियत स्वयं एवं बहैसियत मुख्तीयार आम गणपतसिंह, शेरसिंह पुत्र भैरुसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– वाडका व प्रत्यर्थी गंगारसिंह पुत्र भैरुसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– वाड़का द्वारा दिनांक 26.9.2019 को उक्त कृषि भूमि का आपसी बंटवाड प्रस्ताव समझौता निष्पादित किया गया एवं अपीलार्थी नारसिंह पुत्र भीखसिंह जी एवं प्रत्यर्थी हडमतसिंह पुत्र भैरुसिंह जी बहैसियत स्वयं एवं बहैसियत मुख्यतीयार आम गणपतसिंह, शेरसिंह पुत्र भैरुसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– वाडका व प्रत्यर्थी गंगारसिंह पुत्र भैरुसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– वाडका द्वारा दिनांक 04.10.2019 को तहसीलदार, शिवगंज के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आपसी बंटवाड प्रस्ताव मुजब राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर खाते अलग अलग खोलने व लगान अलग अलग वसूलने के संबंध में अनुरोध किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न आपसी बंटवाड प्रस्ताव समझौता इकरार आपसी बंटवाड प्रस्ताव, जमाबंदी नकल, ट्रेश नक्शा व आम मुख्तीयारनामा की प्रति प्रस्तुत की गई। उक्त आपसी बंटवाड प्रस्ताव

.....पेज छः पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:08:38 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *
सत्यमेव जयते

समझौता इकरार, आपसी बंटवाड प्रस्ताव, नक्शा ट्रेश व उक्त प्रार्थना पत्र पर अपीलार्थी नारसिंह पुत्र भीखसिंह जी एवं प्रत्यर्थी हडमतसिंह पुत्र भैरुसिंह जी बहैसियत स्वयं एवं बहैसियत मुख्यतीयार आम गणपतसिंह, शेरसिंह पुत्र भैरुसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– वाडका व प्रत्यर्थी गंगारसिंह पुत्र भैरुसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– वाडका के अंगूष्ठ निशानी/हस्ताक्षर किये हुये है एवं जिनकी पहचान पटवारी हल्का, जोगापुरा द्वारा की गई है। तहसीलदार, शिवगंज के समक्ष दिनांक 04.10.2019 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय आपसी बंटवाड प्रस्ताव समझौता की हल्का पटवारी, जोगापुरा से जांच करवाई जाकर तहसीलदार, शिवगंज द्वारा दिनांक 04.10.2019 को आपसी सहमति बंटवाड प्रस्ताव समझौता को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, शिवगंज के पत्र क्रमांकःराजस्व/2019–20/2411–14 दिनांक 04.10.2019 के द्वारा पटवारी हल्का, जोगापुरा को राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने के आदेश जारी किये गये है।

तहसीलदार, शिवगंज द्वारा स्वीकृत उक्त आपसी सहमति बंटवाड प्रस्ताव समझौता दिनांक 04.10.2019 के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील विलम्ब से पेश किये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के तहत प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया था, जो इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र संख्या 47/2022 पर दर्ज रजिस्टर होकर बाद सुनवाई पक्षकारान प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किये जाने से इस अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जा रहा है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53(2) के अनुसार किसी भूमि–क्षेत्र का विभाजन निम्न प्रकार किया जाएगा–

(i) सह–आसमियों के बीच–

(A) भूमि–क्षेत्र के उक्त विभाजन, और

(B) उन कई भागों पर जिनमें भूमि–क्षेत्र उक्त रुपेण विभाजित किया गया हो, लगान के बंटवारे, के सम्बन्ध में इकरारनामा द्वारा, अथवा

(ii) भूमि–क्षेत्र के विभाजन तथा जिन कई भागों में वह विभाजित किया जाय उन पर उस भूमि–क्षेत्र के लगान के बंटवारे के प्रयोजनार्थ सह–आसमियों में से एक या अधिक सह–आसामियों द्वारा दायर किये गये दावे में सक्षम न्यायालय द्वारा पारित डिक्री अथवा आदेश के जरिये।

राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 के अनुसार जोत के विभाजन के लिए करार फाइल करना – एक जोत के विभाजन तथा लगान के वितरण का सह अभिधारियों द्वारा किया गया करार अधिकारिता वाले तहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत किया जावेगा और तहसीलदार करार की शर्तो के अनुसार आदेश पारित करेगा और तद्नुसार जोत के विभाजन को प्रभावी (लागू) करेगा।

अपीलार्थी ने अपील यह कथन किया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 ने अपीलार्थी को धोखे एवं मुगालते में रखकर उक्त कृषि भूमि का आपसी सहमति बंटवाड समझौता इकरार कपटसंधि पूर्वक निष्पादित करवाया है। इस संबंध में हमारा विनम्र मत यह है कि यदि अपीलार्थी के साथ प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 द्वारा कोई छल कपट किया गया है तो उनके विरुद्ध अपीलार्थी सक्षम न्यायालय में कार्यवाही कर सकता है। इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शि[illegible] रेकर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी व प्रत्यर्थी [illegible] निष्पादित उक्त कृषि भूमि के आपसी सहमति बंटवाड प्रस्ताव समझौता के, अपीलार्थी नारसिंह को भी राजस्व

....पेज सात पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:08:38 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

रेकर्ड में तरमीमम किये हुए रास्ते (जो खसरा संख्या 83 व 77 से 81 के मध्य है) से लगती हुई भूमि समझोते अनुसार विभाजन में प्राप्त हुई है। तहसीलदार, शिवगंज द्वारा कृषि जोतों व लगान का सह–खातेदारों के मध्य नियमानुसार विभाजन किया गया है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी की अपील सारहीन होने व साबित नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत अपील अपीलार्थी अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध प्रत्यर्थीगण सारहीन होने एवं भलीभांति साबित नही होने से खारिज की जाती है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 23 अक्टूबर, 2023 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:08:38 IST
Reason: SelfAttested